



सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE , कोचिन COCHIN- 682009

Willington Island, Kochi – 682 009

Tel: 0484-2668068/2668390. PBX:0484-2666861 to 6864. Fax: 0484-2668468.

परिपत्र CIRCULAR. No. 78 / 2015 -16

विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति – दिनांक 21.12.2015 को आयोजित छठी बैठक का कार्यवृत्त – संबंधित

Sub: Customs Clearance Facilitation Committee–Minutes of the 6th meeting held on 21.12.2015—Reg.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की छठी बैठक दिनांक 21.12.2015 को दोपहर 3:00 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन. राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 6th meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 3.00 PM on 21.12.2015 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt:

1. S. Anil Kumar, Addl. Commissioner
2. S. Srimathi, Dy. Commissioner
3. B. Umadevi, Asst. Commissioner
4. Sanjay Bangartale, Asst. Commissioner
5. Jimmi Joseph, Asst. Commissioner
6. Debashish Paul, Asst. Commissioner
7. Jathin K A, Asst. Commissioner
8. Prameela Rose, Asst. Commissioner
9. Bhuvanachandran, Scientist 'D', NIC
10. Gomathy G., Superintendent of Customs
11. C. T. Suja, Superintendent of Customs

सीमाशुल्क निकासी से संबंधित विभागों/एजेंसियों/पणधारियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित सदस्यों द्वारा किया गया:

The departments/ agencies/ stake holders who are involved with customs clearance were represented by S/Shri:

1. Jimmy George, Cochin Port Trust
2. Dr. Jesto George, FSSAI, Cochin
3. Doles .P.E, FSSAI, Cochin
4. D. Iyyanar, Plant Protection Officer, Plant Quarantine Station, Cochin
5. J. Ragupathy, CDSCO, Cochin
6. R. Sekar, Container Corporation of India Ltd, Cochin.

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया तथा उसके बाद नए मुद्दे उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting and minutes of last meeting were taken up for discussion and there after fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई

Action on minutes of last meeting

- 1 केन्द्रीय भेषज मानक नियंत्रण संगठन के कार्यालय के लिए जगह

Office space for Central Drugs Standards Control Organisations

उपर्युक्त मामले के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि केंद्रीय भेषज मानक नियंत्रण संगठन के लिए एक अतिरिक्त कमरा उपलब्ध करवाने हेतु व्यवस्था की जाएगी।

On the above issue the chair assured that arrangements shall be made to provide one additional room to Central Drugs Standards Control Organisations.

- 2 एफ.एस.एस.आई. द्वारा और अधिक प्रयोगशालाओं का प्रमाणन किया जाना

More Lab Accreditation with FSSAI

अध्यक्ष महोदय ने कोच्ची में एफएसएसआई की परीक्षण सुविधाओं के बारे में पूछा।

The chair enquired about the testing facility of FSSAI in Kochi.

एफएसएसआई अधिकारियों ने सूचित किया कि कोचिन की प्रमुख प्रयोगशालाओं को एफएसएसआई प्रमाणन मिला हुआ है। फिलहाल अधिकतर प्रयोगशालाओं के एनएबीएल प्रमाणन की समयावधि पूरी हो गई है। प्रयोगशालाओं को वैध एनएबीएल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद अपने एफएसएसआई प्रमाणन के नवरीकरण के लिए इन्हें एफएसएसआई को प्रस्तुत करना होगा।

FSSAI officials, Cochin informed that the major labs in Cochin had FSSAI accreditation. Now NABL Accreditation of most of the labs are expired. After getting a valid NABL Certificate, the labs have to submit the same to FSSAI for their FSSAI accreditation renewal.

निम्नलिखित नए मुद्दे चर्चा के लिए उठाए गए

Following Fresh points were taken up for discussion.

- बिंदु 1. यूरोपियन यूनियन के लिए निर्यातों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

Point 1. NOC for exports to European Union

श्री रघुपति, तकनीकी अधिकारी, सीडीएससीओ ने सूचित किया कि भेषज महानियंत्रक (भारत), नई दिल्ली के दिनांक 11.12.2015 के नोटिस के अनुसार 01.01.2016 से यूएसए, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के लिए निर्यातों हेतु “अनापत्ति प्रमाणपत्र” पर जोर नहीं दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय ने इस बात को नोट किया।

Shri. Ragupathi, Technical Officer, CDSCO informed the chair from 01.01.2016 onwards “No Objection Certificate” will not be insisted for exports to USA, Canada, Japan, Australia and European Union as per notice dated 11.12.2015 of the Drugs Controller General (India), New Delhi.

The chair took note of the same.

बिंदु 2. मशीनरियों को ढकने वाले लकड़ी के तख्तों को ट्रीट नहीं किए जाने के संबंध में
Point 2. On wooden planks enclosing machinery not being treated.

श्री डी. इय्यनार, संयंत्र सुरक्षा अधिकारी, संयंत्र संगरोधक स्टेशन, कोचिन ने सूचित किया कि पैकिंग सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ लकड़ी के तख्तों को ट्रीट नहीं किया जाता है। उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसे मामलों में संयंत्र संगरोधक अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे आकर इन तख्तों को रोगाणुओं से मुक्त/ट्रीट कर सकें।

Shri. D. Iyyanar, Plant Protection Officer, Plant Quarantine Station, Cochin informed that some of the wooden planks used as packing materials are not treated. He requested that in such cases Plant Quarantine officials should be informed so that they can come and disinfect/treat the same.

अध्यक्ष महोदय ने सहायक आयुक्त (डोक्स) को ऐसे मामलों के बारे में संयंत्र संगरोधक अधिकारियों को सूचित करने के निदेश दिए।

The chair instructed AC (Docks) to inform officials of Plant Quarantine on such instances.

बिंदु 3. एफएसएसएआई निकासी के लिए लंबित मामले
Point 3. Cases pending for FSSAI clearance

अध्यक्ष महोदय ने एफएसएसएआई निकासी के लिए लंबित आठ कन्साइन्मेंटों के बारे में पूछा।

The chair enquired about the eight consignments that are pending for FSSAI clearance.

एफएसएसएआई अधिकारियों ने सूचित किया कि उन्होंने उपर्युक्त आठ कन्साइन्मेंटों में से चार मामलों में पहले ही एनओसी जारी कर दिया है। इसके अलावा शेष चार मामलों में ‘नेच्युरल कोको पाउडर’ को छोड़कर बाकी मामले दिसंबर, 2015 के हैं। कोकोनट शुगर के मामले में इंग्रेडियन्ट की अंतिम सूची मिलने के बाद ही वे निर्णय लेंगे। किशमिश के मामले में नमूनों की जांच के बावजूद वे एनओसी नहीं दे सकें क्योंकि उस पर बैच नंबर नहीं लगा था, जोकि एनओसी जारी करने के लिए अनिवार्य होता है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय को यह भी सूचित किया कि ‘बैच नंबर न होने’ की समस्या उनको हो रही प्रमुख समस्या है। ‘वेजिटेबल प्रोटीन’ के मामले में एफएसएसएआई अधिकारियों ने सूचित किया कि इसमें कृत्रिम फ्लेवर एनहैंसर है, जिसका ब्योरा नहीं दिया गया था, जो कि एफएसएसएआई के तहत अपेक्षित है।

The FSSAI officials informed that they had already issued NOC for four cases out of the said eight consignments. Also in the four pending cases except the case of 'Natural Coco Powder', all others are pertaining to the month of December 2015 only. In the matter of coconut sugar, they will decide once they receive the final ingredient list. In case of 'Raisin', even though they had inspected the samples, they could not issue 'NOC' as batch number was not provided, which is mandatory requirement to issue NOC. He also informed the chair that 'lack of batch number' is one major problem faced by them. Regarding 'vegetable protein', the FSSAI officials informed that it contained artificial flavor enhancer which was not specified, which is required under FSSAI.

बिंदु 4. अदालती आदेश के आधार पर कन्साइन्मेंटों को रिलीस करने की सूचना

Point 4. Communication of release of consignments on the basis of court order

डॉ. जेस्टो जोर्ज, एफएसएसएआई ने सूचित किया कि उन्हें अदालती आदेश के आधार पर रिलीस किए गए कन्साइन्मेंटों के बारे में सूचना नहीं मिल रही है।

Dr. Jestto George, FSSAI informed the chair that they are not getting communication of consignments released on the basis of court order.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक प्रति उनको भी अग्रेषित करने के प्रबंध किए जाएं।

The chair said that arrangements shall be made to forward a copy of the order to them.

बिंदु 5. वास्तविक एनओसी जारी करना

Point 5. Issue of physical NOCs

एफएसएसएआई अधिकारियों ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि एनआईसी ने कहा है कि वास्तविक एनओसी जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

The FSSAI officials informed the chair that NIC said that there is no need to issue physical NOCs

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रणाली अभी पूरी तरह ऑनलाइन में परिवर्तित नहीं हो पाई है इसलिए लेखापरीक्षा के लिए हार्डकॉपी की आवश्यकता है।

The chair replied that the system has not completely switched over to online and hence hardcopy is needed for auditing purpose.

चर्चा के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाए जाने के कारण, अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई मुद्दे हों, तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल ccu@cochincustoms.gov.in के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in

Sd/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)
आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/1/2015 – CCU Cus.

तारीख Dated: 18.01.2016

//अनुप्रमाणित Attested//

Sd/-

(गोमती जी. GOMATHY G.)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

Chief Commissioner of Customs, Kerala Zone, Cochin.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members